# TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

# Government of India Ministry of Corporate Affairs Notification

New Delhi, dated, 05.07.2018,

G.S.R. \_\_\_ (E). - In exercise of the powers conferred by section 73 and section 74 read with sub-section (1) and sub-section (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India , hereby makes the following rules further to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits)
  Amendment Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force on 15 August, 2018

2.

In the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014

(a) in rule 4, in sub-rule (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that a certificate of the statutory auditor of the company shall be attached in Form DPT-1, stating that the company has not committed default in the repayment of deposits or in the payment of interest on such deposits accepted either before or after

payment of interest on such deposits accepted either before or after the commencement of the Act and in case a company had committed a default in the repayment of deposits accepted either before or after the commencement of the Act or in the payment of interest on such deposits, a certificate of the statutory auditor of the company shall be attached in Form DPT-1, stating that the company had made good the default and a period of five years has lapsed since the date of making good the default as the case may be.";

- (b) rule 5 shall be omitted;
- (c) in rule 13, for the proviso, the following shall be substituted, namely:"Provided that the amount remaining deposited shall not at any time fall below twenty per cent. of the amount of deposits maturing during the financial year.";
- (d) in rule 14, in sub-rule (1), clause (k) shall be omitted;
- (e) in the Annexure,
  - i) for Form DPT-1, the following Form shall be substituted, namely:-

### "FORM DPT-1

CIRCULAR OR CIRCULAR IN THE FORM OF ADVERTISEMENT INVITING DEPOSITS

[Pursuant to section 73 (2)(a) and section 76 and rule 4(1) and 4(2) of the

### Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014]

The circular or circular in the form of advertisement shall contain the following:

- 1. GENERAL INFORMATION
- (a) Name, address, website and other contact details of the company;
  - (b)Date of incorporation of the company;
  - (c)Business carried on by the company and its subsidiaries with the details of branches or units, if any;
  - (d)Brief particulars of the management of the company;
  - (e)Names, addresses, DIN and occupations of the directors;
- (f) Management's perception of risk factors;
  - (g). Details of default, including the amount involved, duration of default and present status, in repayment of -
    - (i) statutory dues;
    - (ii) debentures and interest thereon;
    - (iii) loan from any bank or financial institution and interest thereon.

### 2. PARTICULARS OF THE DEPOSIT SCHEME

- (a) Date of passing of board resolution;
- (b) Date of passing of resolution in the general meeting authorizing the invitation of such deposits;
- (c) Type of deposits, i.e., whether secured or unsecured;
- (d) Amount which the company can raise by way of deposits as per the Act and the rules made thereunder, and the aggregate of deposits actually held on the last day of the immediately preceding financial year and on the date of issue of the Circular or advertisement and amount of deposit proposed to be raised and amount of deposit repayable within the next twelve months;
- (e) Terms of raising of deposits: Duration, Rate of interest, mode of payment and repayment;
- (f) Proposed time schedule mentioning the date of opening of the Scheme and the time period for which the circular or advertisement is valid;
- (g) Reasons or objects of raising the deposits;
- (h) Credit rating obtained; Name of the Credit Rating Agencies, Rating obtained, Meaning of the rating obtained, Date on which rating was

obtained;

- (i) Short particulars of the charge created or to be created for securing such deposits, if any;
- (j) Any financial or other material interest of the directors, promoters or key managerial personnel in such deposits and the effect of such interest in so far as it is different from the interests of other persons.

### 3. DETAILS OF ANY OUTSTANDING DEPOSITS

- (a) Amount Outstanding;
- (b) Date of acceptance;
  - (c) Total amount accepted;
  - (d) Rate of interest;
  - (e) Total number of depositors;
  - (f) Default, if any, in repayment of deposits and payment of interest thereon, if any, including number of depositors, amount and duration of default involved;
  - (g) Any waiver by the depositors, of interest accrued on deposits.

### 4. FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY

- (a) Profits of the company, before and after making provision for tax, for the three financial years immediately preceding the date of issue of circular or advertisement;
- (b) Dividends declared by the company in respect of the said three financial years; interest coverage ratio for last three years (Cash profit after tax plus interest paid or interest paid);
- (c) A summary of the financial position of the company as in the three audited balance sheets immediately preceding the date of issue of circular or advertisement;
- (d) Audited Cash Flow Statement for the three years immediately preceding the date of issue of circular or advertisement;
- (e) Any change in accounting policies during the last three years and their effect on the profits and the reserves of the company.

### 5. A DECLARATION BY THE DIRECTORS THAT-

- (a) the company has not defaulted in the repayment of deposits accepted either before or after the commencement of the Act or payment of interest on such deposits and where a default had occurred, the company made good the default and a period of five years had lapsed since the date of making good the default;
- (b) the board of directors have satisfied themselves fully with respect to the affairs and prospects of the company and that they are of the opinion that having regard to the estimated future financial position of the company, the company will be able to meet its liabilities as and when, they become due and that the company will not become insolvent within a period of one year from the date of issue of the circular or advertisement;
- (c) the company has complied with the provisions of the Act and the rules made thereunder;
- (d) the compliance with the Act and the rules does not imply that repayment of deposits is guaranteed by the Central Government;
- (e) the deposits accepted by the company before the commencement of the Act have been repaid (or will be repaid along with interest within \_\_\_ days (days to be specified) and until they are repaid, they shall be treated as unsecured and ranking pari passu with other unsecured liabilities);
- (f) in case of any adverse change in credit rating, depositors will be given a chance to withdraw deposits without any penalty;
- (g) the deposits shall be used only for the purposes indicated in the Circular or circular in the form of advertisement;
- (h) the deposits accepted by the company (other than the secured deposits, if any, aggregate amount of which to be indicated) are unsecured and rank pari passu with other unsecured liabilities of the company.

#### **Attachments**

- \*Auditor's certificate;
- 2. Optional attachment, if any.

Attach
Attach
Attach

	List of attachments
}	
ļ	

(ii) for Form DPT-3, the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM DPT-3	
Return of deposits  [Pursuant to rules 3 and 16 of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014]  HRZIPA STAR	
Form language o English o Hindi	
Refer the instruction kit for filing the form.	
1. (a) *Corporate Identity Number (CIN)  (b) Global Location Number (GLN)	
2. (a) Name of the company (b) Registered office address	
(c) *email id	
<ul> <li>3. Whether the company is o Public company o Private company</li> <li>4. *Whether the company is a government company o Yes o No</li> <li>5. Objects of the company</li> </ul>	

	of last closing of accounts	
	expiry of validity of advertisement or circular has per the latest audited balance sheet preceding the da	ete of the return-
S. No.	Particulars	Amount (in Rupees)
(a) (i)	Paid up share capital	
(ii)	Free reserves	
(iii)	Securities Premium Account	
(b) (i)	Accumulated loss	
(ii)	Balance of deferred revenue expenditure	
(iii)	Accumulated unprovided depreciation	
(iv)	Miscellaneous expense and preliminary expenses	
(v)	Other intangible assets	
(c)	Net worth (a) – (b)	
(c)	Net worth (a) – (b)  Maximum limit of deposits (i.e. 35% of the above in carcompanies other than specified IFSC public companity private companies)	
* (a) Total (b) Total at th *Particular	Maximum limit of deposits (i.e. 35% of the above in car companies other than specified IFSC public compa	
* (a) Total (b) Total at th *Particular (a) Amount	Maximum limit of deposits (i.e. 35% of the above in carcompanies other than specified IFSC public companies)  number of deposit holders as on 1st April number of deposit holders e end of financial year rs of deposits (In Rupees)	
* (a) Total (b) Total at th *Particular (a) Amount	Maximum limit of deposits (i.e. 35% of the above in carcompanies other than specified IFSC public companies)  number of deposit holders as on 1st April number of deposit holders e end of financial year rs of deposits (In Rupees) of existing deposits as on 1st April	
* (a) Total (b) Total at th *Particular (a) Amount	Maximum limit of deposits (i.e. 35% of the above in car companies other than specified IFSC public companies)  number of deposit holders as on 1st April number of deposit holders e end of financial year rs of deposits (In Rupees) of existing deposits as on 1st April of deposits renewed during the year	
* (a) Total (b) Total at th *Particular (a) Amount	Maximum limit of deposits (i.e. 35% of the above in car companies other than specified IFSC public companies)  number of deposit holders as on 1st April number of deposit holders e end of financial year rs of deposits (In Rupees) of existing deposits as on 1st April of deposits renewed during the year	
* (a) Total (b) Total at th *Particular (a) Amount (b) Amount	Maximum limit of deposits (i.e. 35% of the above in carcompanies other than specified IFSC public companies)  Inumber of deposit holders as on 1st April number of deposit holders e end of financial year rs of deposits (In Rupees) of existing deposits as on 1st April of deposits renewed during the year of new deposits accepted during the year  (i) Secured deposits	

(b) *Amount of deposits that have matured and	I claimed but not paid	
1. *Particulars of liquid assets		
(a) Amount of deposits maturing on or before	31st march next year	
and following next year		
(b) Amount required to be invested in liquid asse	ts	
A Date Handle Co. 11		
c) Details of liquid assets		
Particulars		Amount
(a) Amount in current or other deposits acco	ount from from charge or lies	
with any scheduled bank	June, free from charge of fieri,	
(b) Unencumbered securities of Central/State	te Government Face value	
	5. 5. 5	
	Market Value	
(c) Unencumbered trust securities		
	Face value	
	Market value	
Particulars of charge     (a) Date of entering into trust deed		
(b) Name of the trustee		
(c) Short particulars of the property on which cha	arge is created for securing deno	citors
( )		
(d) Value of the property		
ttachments		List of attachments
Auditor's certificate;	Attach	
.Copy of trust deed;	Attach	

3. Copy of instrument creating charge;	Attach
4. List of depositors;	Attach
5. Details of liquid assets;	Attach
6. Optional attachment, if any.	Attach
	Remove attachment
Decla	ration
I am authorized by the Board of Directors of the Compa	
	eclare that all the requirements of Companies Act, 2013
and the rules made thereunder in respect of the subj	ect matter of this form and matters incidental thereto
•	mation given herein above is true, correct and complete
including the attachments to this form and nothing ma	terial has been suppressed.
*To be digitally signed by	
D3C BOX	
*Designation	
*DIN of the director; or DIN or PAN of the manager or	
CEO or CFO; or membership number of the company s	ecretary
	·
Note: Attention is also drawn to provisions of Secti	on 448 and 449 which provide for punishment for
false statement and false evidence.	
Check Form	Prescrutiny
For office use only:	Affix filling details
eForm Service request number (SRN)	eForm filing date (DD/MM/YYYY)
This e-Form is hereby registered	211
Digital signature of the authorising officer	Confirm submission
Date of signing	(DD/MM/YYYY)

[File No 1/8/2013-CL-V]
(K V R Murty)

Joint Secretary to the Government of India

**Note.** - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 256(E), dated the 31st March, 2014 and were subsequently amended:-

- (1) Vide notification number G.S.R. 386(E) dated the 6th June, 2014;
- (2) Vide notification number G.S.R. 241(E) dated the 31st March, 2015;
- (3) Vide notification number G.S.R. 695(E) dated the 15th September, 2015;
- (4) Vide notification number G.S.R. 639(E) dated the 29th June, 2016;
- (5) Vide notification number G.S.R. 454(E) dated the 11th May, 2017; and
- (6) Vide notification number G.S.R. 1172(E) dated the 19th September, 2017.

# [भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

# भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 05 जुलाई, 2018

सा.का.नि. \_\_\_\_\_ (अ).- केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप धारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 73 और धारा 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ कंपनी (जमा की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2018 है।
  - (2) ये नियम 15 अगस्त, 2018 को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 में-
  - (क) नियम 4 के उपनियम (1) में, परंतुक के पश्चात् निम्नतिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि कंपनी के कानूनी लेखापरीक्षक का एक प्रमाण-पत्र प्ररूप डीपीटी-1 यथास्थिति यह कथन करते हुए कि कंपनी ने इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के या पश्चात् स्वीकृत किसी जमा राशि पर जमा के भुगतान या ब्याज के भुगतान व्यतिक्रम नहीं किया है, संलग्न किया जाएगा और यदि कंपनी ने इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात् स्वीकृत जमा राशि की वापसी या ऐसी जमा पर ब्याज के भुगतान में व्यतिक्रम किया है तो कंपनी के कानूनी लेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र प्ररूप डीपीटी-1 में यह कथन करते हुए कि कंपनी ने यह व्यतिक्रम पूरा कर लिया है और व्यतिक्रम पूरा करने की तारीख के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि बीत गई है, संलग्न किया जाएगा";

- (ख) नियम 5 का लोप किया जाएगा;
- (ग) नियम 13 में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्ः-

"परंतु जमा रहने वाली राशि किसी भी समय वित्तीय वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाली जमा राशि के बीस प्रतिशत से कम नहीं होगी।";

- (घ) नियम 14 में, उपनियम (1) के खंड (ट) का लोप किया जाएगा;
- (इ.) उपाबंध में,-
  - (i) प्ररूप डीपीटी-1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

### प्ररूप डीपीटी-1

जमा आमंत्रित करने के लिए परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र
[धारा 73(2)(क) और धारा 76 और कंपनी (जमा की स्वीकृति नियम, 2014 के नियम
4(1) और नियम 4(2) के अनुसरण में

परिपत्र या विज्ञापन में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे

## 1. साधारण सूचना

- (क) कंपनी का नाम, पता, वेबसाइट और अन्य संपर्क ब्यौरे;
- (ख) कंपनी के निगमन की तारीख;
- (ग) कंपनी और उसकी समनुषंगी द्वारा किया जा रहा कारबार और उसकी शाखाओं या यूनिट, यदि कोई हो, के विवरण;
- (घ) कंपनी के प्रबंधन के संक्षिप्त विवरण;
- (ङ) निदेशकों के नाम, पते, डिन और उपजीविका;
- (च) प्रबंधन के जोखिम कारकों के अनुमान;
- (छ) व्यतिक्रम के ब्यौरे, इसमें सम्मिलित रकम के साथ, व्यतिक्रम की अविध और निम्नलिखित के प्रतिसंदाय की वर्तमान स्थिति
  - i) कानूनी बकाया;
  - ii) डिबेंचर और उस पर ब्याज;
  - iii) किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण और उस पर ब्याज।

### 2. जमा स्कीम के विवरण

- (क) बोर्ड के संकल्प पारित करने की तारीख;
- (ख) साधारण अधिवेशन में ऐसी जमा को आमंत्रित करने के लिए प्राधिकृत करने वाला संकल्प पारित करने की तारीख;
- (ग) जमा का प्रकार, अर्थात् प्रतिभूति सहित या प्रतिभूतिरहित;
- (घ) वह रकम, जो कंपनी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार जमा द्वारा प्राप्त की जा सकेगी, और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन और परिपत्र या विज्ञापन जारी करने की तारीख को वास्तव में धारित जमा और उसको जुटाने के लिए प्रस्तावित जमा की रकम और आगामी बारह माह में प्रतिसंदाय की जाने वाली जमा की रकम का योग;
- (ङ) जमा जुटाने, भुगतान की अवधि, ब्याज दर, भुगतान की रीति और उसका प्रतिसंदाय;
- (च) प्रस्तावित समय अनुसूची जिसमें स्कीम के प्रारंभ की तारीख और समयावधि, जब तक परिपत्र या विज्ञापन मान्य है;
- (छ) जमा जुटाने के कारण या उद्देश्य;
- (ज) प्राप्त क्रेडिट रेटिंग; क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम, प्राप्त रेटिंग, प्राप्त रेटिंग का अर्थ, रेटिंग प्राप्त करने की तारीख।
- (झ) इस प्रकार की जमा प्राप्त करने के लिए सृजित या सृजित किए जाने वाले प्रभार, यदि कोई हो, के संक्षिप्त विवरण,
- (ञ) इस प्रकार की जमा में निदेशकों, संप्रवर्तकों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का कोई वित्तीय या अन्य सारवान् हित और उस हित का प्रभाव, जहां तक यह अन्य व्यक्तियों के हितों से भिन्न है।

#### 3. किसी बकाया जमा का विवरण-

- (क) बकाया रकम;
- (ख) स्वीकृति की तारीख;
- (ग) स्वीकृत कुल रकम;
- (घ) ब्याज दर;
- (ङ) जमाकर्ताओं की कुल संख्या;

- (च) जमा के प्रतिसंदाय और उस पर ब्याज के भुगतान में व्यतिक्रम, यदि कोई हो, तो जिसमें जमाकर्ताओं की संख्या, व्यतिक्रम की रकम और अवधि दी जाए;
- (छ) जमाकर्ताओं द्वारा जमा पर प्राप्त ब्याज में कोई छूट;

### 4. कंपनी की वित्तीय स्थिति

- (क) परिपत्र या विज्ञापन जारी करने के पहले और उसके पश्चात् की तारीख से पूर्व के तीन वर्ष के लिए कर का उपबंध करने से पहले और उसके पश्चात् कंपनी के लाभ:
- (ख) उक्त तीन वित्तीय वर्षों के संबंध में कंपनी द्वारा घोषित लाभांश; पिछले तीन वर्षों के लिए ब्याज कवेरज (कर के पश्चात् नकद लाभ और ब्याज भुगतान के पश्चात् नकद लाभ)
- (ग) परिपत्र या विज्ञापन जारी करने की तारीख से तत्काल पूर्व के तीन संपरीक्षित तुलन-पत्रों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति का सार;
- (घ) परिपत्र या विज्ञापन जारी करने की तारीख से तत्काल पहले के तीन वर्षों के संपरीक्षित नकदी प्रवाह विवरण;
- (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन और कंपनी के लाभ और आरक्षितियों पर उसका प्रभाव।

# 5. निदेशकों द्वारा घोषणा -

- (क) कंपनी ने अधिनियम के प्रारंभ से पहले और इसके पश्चात् स्वीकृत जमा के प्रतिसंदाय या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई व्यतिक्रम नहीं किया है और जहां कंपनी ने व्यतिक्रम किया है वहां व्यतिक्रम पूरा कर लिया है और व्यतिक्रम पूरा करने की तारीख के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि बीत गई है;
- (ख) यह कि निदेशक बोर्ड ने कंपनी के कार्यों और भविष्य के संबंध में पूर्णतया समाधान कर लिया है और उनका यह विचार है कि कंपनी की प्रत्याशित भावी वित्तीय स्थिति को देखते हुए कंपनी अपनी देयताओं, जब वे बकाया होंगी, को पूरा कर सकेगी और कंपनी परिपत्र या विज्ञापन जारी करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर दिवालिया नहीं होगी;
- (ग) कंपनी ने अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है;

- (घ) अधिनियम और नियमों के अनुपालन का अर्थ यह नहीं है कि जमा के प्रतिसंदाय की गारंटी केंद्रीय सरकार की है;
- (ङ) अधिनियम के प्रारंभ से पहले कंपनी द्वारा स्वीकृत जमा का प्रतिसंदाय कर दिया गया है (या उस पर ब्याज के साथ ...... दिनों के भीतर (दिन विशिष्ट किया जाए) उसका प्रतिसंदाय कर दिया जाएगा और जब तक उसका प्रतिसंदाय नहीं होता है, ये प्रतिभूतिरहित और अन्य प्रतिभूतिरहित के समरूप माने जाएंगे)।
- (च) क्रेडिट रेटिंग में कोई प्रतिकूल परिवर्तन होने पर जमाकर्ता को बिना किसी शास्ति के जमा वापस लेने का अवसर दिया जाएगा;
- (छ) जमा का प्रयोग परिपत्र या विज्ञापन के रूप में परिपत्र में इंगित प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा;
- (ज) कंपनी द्वारा स्वीकृत जमा (प्रतिभूति सिहत जमा, यदि कोई हो, से भिन्न अन्य जमा, जिसकी कुल रकम उपदर्शित की जानी है) प्रतिभूतिरहित है और इसे कंपनी की अन्य प्रतिभूतिरहित के समरूप माना जाएगा।

संलग्नक-		संलग्नकों की सूची"
1. लेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र;	संलग्न करें	
2. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो।	सलग्न करें	
		संलग्नक हटाएं

# (ii) डीपीटी-3 प्ररूप के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप डीपीटी-3  जमा की विवरणी [कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 3 और 16 के अनुसरण में]	
प्ररूप की भाषा O अंग्रेजी O हिंदी प्ररूप भरने के लिए निर्देश देखें	
1. (क) *कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) (ख) वैश्विक स्थिति संख्या (जीएलएन) (पूर्व पूरित)	
2. (क) कंपनी का नाम (ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता	
(ग) *ई-मेल आईडी	
3. कंपनी का प्रकार 0 पब्लिक कंपनी 0 प्राइवेट कंपनी	
<ol> <li>*क्या कंपनी सरकारी कंपनी है</li></ol>	
5. कंपनी के उद्देश्य	
S. (क) विज्ञापन या परिपत्र जारी करने की तारीख	
(ख) *लेखा बंद करने की अंतिम तारीख	
(ग) विज्ञापन या परिपत्र की विधिमान्यता समाप्त होने की तारीख	
7. *विवरणी की तारीख से पहले लेखापरिक्षित अंतिम तुलन पत्र के अनुसार निवल मूल्य	य-

1	क्रम	विशिष्टियां	राशि (रुपए में)
	संख्या		(046 91)
	(क) (i)	समादत्त शेयरपूंजी	
	(ii)	मुक्त आरक्षितियां	
	(iii)	प्रतिभूति प्रीमियम लेखा	
	(ख) (i)	संचित हानि	
	(ii)	स्थगित राजस्व व्यय का शेष	
	(iii)	कुल उपलब्ध न कराया गया अवमूल्यन	
	(iv)	विविध व्यय और प्रारंभिक खर्च	
	(v)	अन्य अमूर्त आस्तियां	
	(ग)	निवल मूल्य (क) - (ख)	-
	(ঘ)	जमा की अधिकतम सीमा (अर्थात् निर्दिष्ट आईएफएससी	
		पब्लिक कंपनियों और प्राइवेट कंपनियों को छोड़कर अन्य	
		सभी कंपनियों के मामले में उपर्युक्त का 35%)	
9. (क) (ख)	01 अप्रैल	विशिष्टियां (रुपये में) को वर्तमान जमा रकम पन नवीकृति जमा रकम	
(ग)		ान स्वीकृत नई जमा रकम	
   प्रतिभ	त जमा		
1	भूत जमा _		
1		ान लौटाई गई जमा रकम	
(ਤ.)	वर्ष के अंत	में बकाया जमा का शेष	
10.	(क) *जमा	रकम जो परिपक्व हो गई है परंतु दावा नहीं की गई है _	
(ख) *	जमा रकमः	जो परिपक्व और दावा की गई है परंतु भुगतान नहीं की व	ाई
11.	*नकद आि	स्तयों की विशिष्टियां	
(क) ज	माओं की रा	शि जो आगामी वर्ष 31 मार्च को या उससे पहले और आग	ामी वर्ष परिपक्व 
	ाले रकम		

विशिष्टियां			राशि	r
(क) किसी अधिसूचित बैंक में प्रभार या धारणा	धिकार से	मुक्त चालू	्या	
अन्य जमा खाते में राशि				
(ख) केन्द्रीय/राज्य सरकार की अबाधित प्रतिभूर्	 तेयां	 प्रत्यक्ष मू	्ल्य	
		बाजार मू	्ल्य —	
(ग) अबाधित न्यास प्रतिभृतियां	_	 प्रत्यक्ष मू	ल्य	_
		बाजार म्	ल्य <u> </u>	
(क) न्यास विलेख पर हस्ताक्षर करने की तारीख (ख) न्यासी का नाम (ग) संपत्ति जिस पर जमाकर्ताओं की सुरक्षा के	_ _ लिए प्रभा	र का सृजन	िकिया जाना	 है, व
(ख) न्यासी का नाम	— लिए प्रभा	र का सृजन	िकिया जाना	- 吉, எ
(ख) न्यासी का नाम (ग) संपत्ति जिस पर जमाकर्ताओं की सुरक्षा के संक्षिप्त विशिष्टियां	— लिए प्रभा		·	
(ख) न्यासी का नाम  (ग) संपत्ति जिस पर जमाकर्ताओं की सुरक्षा के संक्षिप्त विशिष्टियां  (घ) संपत्ति का मूल्य	लिए प्रभा	<b>.</b>	ा किया जाना inग्नकों की सूची	
(ख) न्यासी का नाम (ग) संपत्ति जिस पर जमाकर्ताओं की सुरक्षा के संक्षिप्त विशिष्टियां (घ) संपत्ति का मूल्य संलग्नक		सं रे	·	
(ख) न्यासी का नाम  (ग) संपत्ति जिस पर जमाकर्ताओं की सुरक्षा के संक्षिप्त विशिष्टियां  (घ) संपत्ति का मूल्य  संलग्नक  1. लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	संलग्न क	+i † †	·	
(ख) न्यासी का नाम  (ग) संपत्ति जिस पर जमाकर्ताओं की सुरक्षा के संक्षिप्त विशिष्टियां  (घ) संपत्ति का मूल्य  संलग्नक  1. लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र  2. न्यास विलेख की प्रतिलिपि	संलग्न क संलग्न क	+i  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *	·	
(ख) न्यासी का नाम  (ग) संपत्ति जिस पर जमाकर्ताओं की सुरक्षा के संक्षिप्त विशिष्टियां  (घ) संपत्ति का मूल्य  संलग्नक  1. लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र  2. न्यास विलेख की प्रतिलिपि  3. प्रभार सृजित करने की लिखत की प्रतिलिपि	संलग्न क संलग्न क संलग्न क	#i	·	

	घोषणा			
मुझे कंपनी के निदेशक मंडर	ल द्वारा तारीख *	के र	नंकल्प संख्या *	
के माध्यम से इस प्ररूप फ				धिकृत
किया गया है कि इस प्ररूप				
अधिनियम, 2013 तथा इ				
किया गया है। मैं यह भी ध				
सूचना सही, सत्य और पूरी				
*डिजिटल हस्ताक्षर	डीएससी बॉक्स			
*पदनाम		<u></u>		
*निदेशक का डिन; या प्रबंध	ाक गा			
सीईओ या सीएफओ का डिव	·	—————— प्रची सचित की गटा		
	1 11 1-17 41 47	IVII (II MM AII (IQ)	4(1) (164)	
_				
टिप्पणः धारा 448 और 449			किया जाता है जिनमें 1	मेथ्या
टिप्पणः धारा 448 और 449 कथन और मिथ्या साक्ष्य के			किया जाता है जिनमें 1	मेथ्या <sup> </sup>
	न्तिए दंड का उप		किया जाता है जिनमें f	
कथन और मिथ्या साक्ष्य के	प्ररूप जांच	गबंध है।		
कथन और मिथ्या साक्ष्य के संशोधित करें किवल कार्यालय प्रयोग के ति	त्रिए दंड का उप प्ररूप जांच	गबंध है।		
कथन और मिथ्या साक्ष्य के संशोधित करें केवल कार्यालय प्रयोग के वि	प्ररूप जांच प्ररूप जांच नेए एसआरएन)	पूर्व संवीक्षा		
कथन और मिथ्या साक्ष्य के संशोधित करें केवल कार्यालय प्रयोग के वि	प्ररूप जांच प्ररूप जांच नेए एसआरएन)	गबंध है।		
संशोधित करें  संशोधित करें  केवल कार्यालय प्रयोग के ति  प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (। ई-प्ररूप फाइल करने की तार्र	जिए दंड का उप 	पूर्व संवीक्षा		
कथन और मिथ्या साक्ष्य के संशोधित करें	प्ररूप जांच 	ाबंध है।  पूर्व संवीक्षा (दिन/मास/वर्ष)	प्रस्तुत	

[फा.सं.1/8/2013-सीएल-V]ः

के. वी. और. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

िटपणः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में तारीख 31 मार्च, 2014 की सा.का.नि.256(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गएः

- (1) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 386(अ), तारीख 06 जून, 2014
- (2) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 241(अ), तारीख 31 मार्च, 2015
- (3) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 695(अ), तारीख 15 सितंबर, 2015
- (4) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 639(अ), तारीख 29 जून, 2016 और
- (5) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 454(अ), तारीख 11 मई, 2017